तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सुशीला देवी बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/260**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा तस्दीक कर अपील विड्रो करने के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के मध्य आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिये दोनों पक्ष प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं दोनों पक्ष आपसी सहमति से उक्त अपील को विड्रो करना चाहते है। अतः राजीनामें के आधार पर उक्त अपील विड्रो करने आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से अपीलार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो करना चाह रहे है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने एवं अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने के कारण अपीलार्थीगण की अपील विड्रो/खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 28/11/22 **(अन्तरसिंह नेहरा)** संभागीय आयुक्त जयपुर	